भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 148

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)

सभी क्षेत्रों के कामगारों का कल्याण

148. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में संगठित या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों को स्वास्थ्य और पेंशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत सात वर्षों के दौरान राजस्थान में लाभार्थियों का झुंझुनू सहित जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटनाओं में मारे गए कामगारों के परिवारों को प्रदान की जा रही या प्रदान की जाने वाली सहायता के प्रकार के संबंध में मौजूदा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कारखाने/कंपनियां मृतक के आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने में अनियमितताएं करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है कि कामगारों के साथ कोई अन्याय न हो?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): श्रम और रोजगार मंत्रालय, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना तथा कामगार कल्याण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) विभिन्न क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के कामगारों को सांविधिक योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करते हैं।

पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत, 18 से 40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है और जो ईपीएफओ या ईएसआईसी या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात ₹3,000 की मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से नामांकन करा सकते हैं। यह योजना अंशदायी प्रकृति की है, जिसमें लाभार्थी और केंद्र सरकार द्वारा समान मासिक अंशदान किया जाता है। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के दौरान, राजस्थान में लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 62855, 37295, 3090, 2592, 22053, 14800 और 5085 थी। कामगार

कल्याण योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत बीड़ी/सिने/लोहा, मैंगनीज, क्रोम/चूना पत्थर एवं डोलोमाइट/अभ्रक खदान कामगारों तथा उनके आश्रितों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

ईएसआईसी, कार्यान्वयन क्षेत्रों में अवस्थित उन कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा हितलाभ प्रदान करता है जहाँ 10 या अधिक कामगार नियोजित हैं। ₹21,000 प्रति माह (निःशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में ₹25,000) तक वेतन पाने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हितलाभ के पात्र हैं। प्रमुख हितलाभ हैं: चिकित्सा हितलाभ, बीमारी हितलाभ, प्रसूति प्रसुविधा, निःशक्तता हितलाभ, आश्रित हितलाभ और अंतिम संस्कार व्यय।

सेवा नियोजन के दौरान लगी चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु होने की स्थिति में, ईएसआईसी आश्रित हितलाभ प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत मृतक बीमित व्यक्ति की विधवा और अन्य आश्रितों को आवधिक रूप से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अंतिम संस्कार व्यय के रूप में 15,000 रुपये की राशि का भुगतान परिवार के सबसे वरिष्ठ जीवित सदस्य या अंतिम संस्कार का खर्च वहन करने वाले व्यक्ति को किया जाता है। राजस्थान में ईएसआईसी के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का 31.03.2019 से 31.03.2024 तक जिलेवार विवरण संलग्न है।

ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन प्रदान करता है, जैसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सदस्य पेंशन, 50 वर्ष की आयु से समय-पूर्व पेंशन, पूर्ण और स्थायी निःशक्तता पर निःशक्तता पेंशन, विधवा/विधुर पेंशन, बच्चों के लिए पेंशन (25 वर्ष की आयु तक अधिकतम दो बच्चों के लिए), आदि। ईपीएफओ कर्मचारी जमा से जुड़ी हुई बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 का कार्यान्वयन भी करता है, जिसके अंतर्गत सेवा के दौरान, किसी सदस्य की मृत्यु होने पर एक बार बीमा हितलाभ प्रदान किया जाता है। 2024-25 तक, ईपीएफओ के अंतर्गत, 81,48,438 पेंशनभोगियों में से 2,04,343 राजस्थान से हैं। पिछले 7 वर्षों के जिलेवार नामांकन आँकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लिए मुआवजे को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिशासित किया जाता है और यह अधिनियम, राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है।

*

*****

अनुबंध-I

सभी क्षेत्रों के कामगारों का कल्याण के संबंध में श्री बृजेंद्र सिंह ओला द्वारा पूछे गए दिनांक 21.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.03.2019 से 31.3.2024 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान में ईएसआईसी लाभार्थियों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या					
	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.3.2020 की स्थिति के अनुसार	31.3.2021 की स्थिति के अनुसार	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार	31.3.2024 की स्थिति के अनुसार
अजमेर	183063	212655	208755	197041	219172	235717
अलवर	1263656	1040705	1092040	1022546	1123589	1363326
बांसवाड़ा	62063	64891	59736	64293	99185	105037
बारां	19481	18408	21092	18249	18772	21579
बाड़मेर	22477	30532	40035	45470	60286	69911
भरतपुर	36860	37686	37838	36989	41054	47344
भीलवाड़ा	326817	282523	303408	278704	298774	336058
बीकानेर	99528	123799	132062	120247	124238	137638
बूंदी	19925	14985	18055	13998	12257	16156
चित्तौड़गढ़	127487	125142	124930	116345	118308	132936
चुरू	7939	10381	11801	13091	15481	17283
दौसा	19939	22950	22018	23305	29537	37667
धौलपुर	2434	6072	7659	6894	8149	9078
डुंगापुर	7193	6285	6625	8373	12895	15370
गंगानगर	52946	54168	53581	55724	61459	66292
हनुमानगढ़	28669	16702	18069	20104	23551	26799
जयपुर	2192600	2107807	2053706	1871948	2103753	2326194
जैसलमेर	12112	12882	13807	17866	20542	22933
जालौर	6894	9423	9676	8335	11227	14683
झालावाड़	41950	46862	51709	59411	54279	54303
झुंझुनूं	29018	28952	29043	27350	29059	28787
जोधपुर	353797	364698	364346	343978	367552	393437
करौली	5510	5792	6591	6216	6220	6278
कोटा	260440	250147	260314	227049	246311	270589
नागौर	20698	21795	24671	23948	29023	34292
पाली	93977	92025	89849	87481	92085	99346
प्रतापगढ़	3999	5009	5148	4715	4265	4453
राजसमंद	50385	48967	44298	38500	39497	43410
सवाई माधोपुर	6509	8674	11270	13926	14203	15476
सीकर	21295	25163	28086	27447	36450	41766
सिरोही	77561	73037	73873	60919	63786	68694
टोंक	10261	13611	15485	15062	19438	21871
उदयपुर	325317	346195	332882	309631	348440	377788

*****